

हरियाणा में नए मुख्य सचिव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 1989 बैच के IAS अधिकारी वविक जोशी को हरियाणा का नया **मुख्य सचिव** नियुक्त किया गया है, जिससे राज्य में महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन हुए हैं।

प्रमुख बटु

- **नयिम और ज़मिमेदारियाँ:**
 - जोशी सामान्य प्रशासन, मानव संसाधन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, संसदीय मामले और सतर्कता सहित वभिगों की देखरेख करेंगे।
 - वह प्रभारी सचिव के रूप में योजना समन्वय का भी प्रबंधन करेंगे।
- **पृष्ठभूमि:**
 - इस नियुक्ति से पहले, जोशी केंद्रीय कार्मिक, लोक शकियात और पेंशनभोगी मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण वभिग में सचिव के रूप में कार्यरत थे।
 - **मंत्रिमिडल की नियुक्ति समिति** ने 26 अक्टूबर को राज्य सरकार के अनुरोध पर हरियाणा कैडर में उनके प्रत्यावर्तन को मंजूरी दे दी।
 - जोशी के आधिकारिक रूप से कार्यभार ग्रहण करने तक हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अनुराग रस्तोगी अस्थायी रूप से मुख्य सचिव का कार्यभार संभालेंगे।

राज्य के मुख्य सचिव

- **नियुक्ति:**
 - मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। चूँकि मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की कार्यकारी कार्यवाही है, इसलिये यह राज्य के राज्यपाल के नाम पर की जाती है।
- **पद :**
 - मुख्य सचिव का पद भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सविलि सेवाओं में सबसे वरिष्ठ पद है।
 - यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा का कैडर पद है।
 - मुख्य सचिव मंत्रिमिडल के सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है।
- **कार्यकाल:**
 - मुख्य सचिव के कार्यालय को कार्यकाल प्रणाली के संचालन से बाहर रखा गया है। इस पद के लिये कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है।